झारखण्ड जलछाजन

Frequently Asked Questions on IWMP

झारखण्ड राज्य जलछाजन मिशन

राज्य स्तरीय नोडल ऐजन्सी

प्रथम तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, रांची।

1. **जलछाजन क्या है ?**

   जलछाजन एक भूजलीय ईकाई है जहाँ विभिन्न स्रोतों से एकत्रित जल एक साझा बिन्दु से प्रवाहित होता है।

2. **जलछाजन परियोजना के मूल तत्व कौन से है ?**

   अनुजलछाजन की ईकाई 500 से 1000 हेक्टेअर की हैं। जलछाजन परियोजना में 9–10 अनुजलछाजनों का समूह होता है जिसका क्षेत्रफल लगभग 5000 हेक्टेअर है, जो 5 वर्षो में कियान्वित होगी।

3. **समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है ?**

   वर्षा आधारित कृषि तथा लोगों के सहयोग से क्षेत्र का विकास करना ही समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम है। सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर विकास कार्यक्रम के समायोजन से जो कार्यक्रम भूमि संसाधन विकास विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम का नया नाम समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम संसाधनों का सही उपयोग समुचित उद्देश्यों की पूर्ति तथा योजनाओं का सही समायोजन है।

4. **जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ?**

   क. जल, जंगल, जानवर, जन तथा जमीन का उचित संरक्षण एवं विकास करना।

   ख. पारिस्थिकी में सही संतुलन स्थापित करना।

   ग. मिट्टी के कटाव को रोकना।

   घ. प्राकृतिक तथा वनस्पतियों को पुनर्जीवित करना।

   ड़. वर्षा जल का संरक्षण तथा भूजल को बढ़ावा देना।

   च. मिश्रित खेती तथा खेती के नई तकनीकों को बढ़ावा देना।

   छ. टिकाउ जीविकोपार्जन पद्धति को बढ़ावा देना।

5. **समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम के मुख्य तत्व कौन से है ?**

   क. जीविकोपार्जन पद्धति– जीविकोपार्जन पद्धति को इस तरह समायोजित करना जिसमें पशुधन का प्रबंधन मुख्य गतिविधि हो तथा दुग्ध उत्पादित वस्तुओं की समुचित वितरण प्रणाली विकसित हो सके।

   ख. समुदाय का सशक्तिकरण– एक औसत जलछाजन एक हजार से पाँच हजार हेक्टेअर तक हो सकता है, जो अनुजलछाजन का एक समुह है। परियोजना क्षेत्र के समुचित योजना प्रबंधन, कृषि उत्पादन तथा उचित विपणन प्रणाली से और भी प्रभावी बनाया जा सकता है।

ग. वैज्ञानिक पद्धति– भौगोलिक सूचना तंत्र (जी0आई0एस0) आधारित आँकड़ों का जलछाजन कार्यक्रम में राज्य जिला और गाँव स्तर पर उपयोग करना तथा सुदूर संवेदन प्रणाली (रिमोट सेंसिंग) आधारित योजना बनाना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा अनुश्रवण में इस्तेमाल करना।

घ. संस्थागत ढाँचा– राष्ट्र, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों से लैस समर्पित संस्थागत ढाँचे का गठन करना।

ड़. क्षमता निर्माण– ग्रामीणों को क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे उनमें नेतृत्व की भावना आ सके। साथ साथ महिला सशक्तिकरण, जीविकोपार्जन तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना भी उनमें आ सके।

च. मूल्यांकन– योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण यथा प्रारंभिक कार्य तथा परिपक्वता चरणों के कार्यों के मूल्यांकन की व्यवस्था करना।

6. किन मुख्य गतिविधियों को जलछाजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा सकता है ?

क. मिट्टी तथा जल संरक्षण के लिए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। जैसे– मेढ़ बन्दी, समोच्च खंतिया (कंटूर ट्रेंच), सीढ़ीदार खेत का निर्माण (टेरेसिंग), वनस्पति अवरोध इत्यादि।

ख. घास, झाड़ीनुमा पौधें तथा अन्य बहुउद्देश्यीय पौधों के साथ–साथ दलहनी पौधें का रोपण तथा चारा क्षेत्र का विकास।

ग. प्राकृतिक पुनर्जीवन को बढ़ावा देना।

घ. कृषि वानिकी एवं बागवानी के संवर्द्धन की जानकारी ग्रामीणों तक पहुँचाना।

ड़. लकड़ी का विकल्प ढूँढना तथा जलावन लकड़ी का संरक्षण।

च. प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार तथा कार्यक्रम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

छ. लोगों में सहभागिता को बढ़ावा देना।

ज. सम्पतिविहीनों के लिए जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना।

झ. उत्पादन व्यवस्था तथा सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा देना।

7. राज्य स्तर पर जलछाजन की नई परियोजना के चयन की कौन सी प्रकिया अपनाई जाती है ?

नई परियोजना के चयन में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाता है–

क. गरीबी रेखा सूचकांक,

ख. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत,

ग. वास्तविक मजदूरी,

घ. छोटे एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत,

ड़. भूमिगत जल का जलस्तर,

च. नमी का सूचकांक,

छ. डी0पी0ए0पी0 प्रखण्ड है या नहीं,

ज. वर्षाश्रित क्षेत्र अन्तर्गत कृषि,

झ. पीने के पानी की समस्या,

ण. अवक्रमित भूमि,

त. जमीन की उत्पादकता,

थ. पूर्व की उपचारित जलछाजन क्षेत्र से समीपता तथा अनुजलछाजनों का एक समूह के रूप में विकास।

8. जलछाजन कार्यक्रम की अवधि क्या है ?

समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम की अवधि 4 से 7 वर्ष है।

9. जलछाजन परियोजना के लिए कुल कितनी राशि उपलब्ध है ?

मैदानी क्षेत्रों के लिए 12,000 रू0 प्रति हेक्टेअर तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 15,000 रू0 प्रति हेक्टेअर है। अतः जो जलछाजन क्षेत्र 5,000 हेक्टेअर का होगा उसका कुल बजट 600 लाख रू0 होगा।

10. जलछाजन परियोजना की कुल राशि कितने किश्तों में देय होगी ?

कुल राशि तीन किश्तों में व्यय होगी जो क्रमशः 20 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत है।

11. जलछाजन परियोजना शुरू होने की तारीख क्या है ?

जिस तारीख को परियोजना स्वीकृत होती है।

12. जलछाजन बैंक खाता कौन संचालित करता है ?

जलछाजन बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना जरूरी है जिसे संयुक्त रूप से खोला जाएगा। इसे जलछाजन परियोजना खाता कहते है। इस खाता को सचिव तथा जलछाजन विकास दल के नामित सदस्य के रूप से संचालित किया जाएगा।

13. जलछाजन परियोजना कैसे स्वीकृत होती है ?

जलछाजन क्षेत्र जो समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए जा रहे है वो जिला दीर्घकालीन योजना का हिस्सा होना चाहिए। सभी जिला से प्राप्त योजनाओं को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्तर पर संकलित किया जाता है और राज्य स्तरीय दीर्घकालीन योजना बनाई जाती है जो 11 वीं, 12वीं, 13वीं तथा 14वीं पंचवर्षीय परियोजनाओं का भाग होता है। इन दीर्घकालीन योजनाओं के अन्तर्गत सभी वर्षाश्रित तथा बंजर क्षेत्र, जो राज्य के अन्तर्गत आते है, अंतरनिहित होती है।

राज्य स्तरीय नोडल एजेंन्सी की बैठक में प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन समीक्षा के पश्चात् पारित किया जाता है, तत्पश्चात् प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन को संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसे विचार विमर्श के पश्चात पारित कर दिया जाता है।

14. जलछाजन विकास कोष क्या है ?

यह कोष जलछाजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पतियों के समुचित प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए स्थापित किया जाता है।

15. जलछाजन विकास कोष कैसे स्थापित किया जा सकता है ?

जलछाजन विकास कोष लाभुकों के सहयोग से स्थापित किया जाता है, जिनकी भूमि पर कार्य किए जा रहे है। यह सहयोग राशि कुल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अन्तर्गत किए जा रहे कार्य का 10 प्रतिशत होना चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को कुल खर्च का 5 प्रतिशत वहन करना पड़ता है। यह राशि नगद या मजदूरी के रूप में प्रदान की जा सकती है। वैसे कार्य जिनमें मछली पालन, उद्यान, कृषि वानिकी, पशुपालन इत्यादि जो व्यक्ति विशेष की जमीन पर किए जा रहे है, उसे कुल खर्च का 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सहयोग राशि के रूप में देना होगा।

16. लोगों की जलछाजन में क्या भूमिका है ?

जलछाजन लोगों को ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे वे अपने क्षेत्र के लिए ना सिर्फ योजना बना सकें बल्कि उनके कियान्वयन में पूर्ण सहयोग कर सके।

17. जलछाजन में कौन कौन से समूह का गठन किया जाता है ?

जलछाजन क्षेत्र मेंसमान योच वाले ग्रामीण या तो स्वयं सहायता को उपभोगकर्ता समूह बना सकते हैं। यह समूह उस क्षेत्र के विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के प्रति उतरदायी होता है, जिनपर उनका जीविकोपार्जन आधारित हो।

18. स्वंय सहायता समूह क्या है और यह जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम के लिए कैसे लाभदायक है ?

जलछाजन समिति जलछाजन विकास दल के सहयोग से स्वयं सहायता समूह गठन करती है जिसमें गरीब, छोटे तथा सीमांत किसान, भूमिहीन, सम्पतिविहीन, कृषि मजदूर, स्त्री, गड़ेरियें तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य होनी चाहिए। यह समूह समान रूचि एवं पहचान के आधार पर होने चाहिए जो जलछाजन क्षेत्र पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हो। प्रत्येक समूह को परिक्रमी कोष प्रदान किया जाएगा। जो भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित होगा।

19. कौन कौन से लोग इसके लिए योग्य है ?

जो व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जलछाजन क्षेत्र पर निर्भर हो, वह इस कार्यक्रम की पात्रता हासिल कर सकते है।

20. जलछाजन के क्या फायदे/लाभ है ?

जलछाजन एक ऐसा साधन है जो जल, जंगल, जमीन, जानवर तथा जन के संरक्षण तथा समुचित विकास में सहायक होता है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा उस क्षेत्र के सम्पतिविहीन भी जीविकोपार्जन से संबंधित कार्य कर सकते है। इस कार्यक्रम से ग्रामीणों को मजदूरी भी प्राप्त होती है।

21. जलछाजन कार्यक्रम से संबंधित जिज्ञासा के लिए समुदाय को कौन सहयोग करेगा ?

क. ग्रामीण अपनी जिज्ञासा का समाधान जलछाजन समिति, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत के प्रधान से प्राप्त कर सकते है।

ख. इसका समाधान उपभोगकर्ता समूह/स्वयं सहायता समूह के मुखिया के द्वारा भी किया जा सकता है।

ग. उपर्युक्त स्तर पर भी अगर जिज्ञासा का समाधान नहीं हो पाए तो परियोजना कियान्वयन एजेन्सी/जलछाजन विकास दल/परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् से सम्पर्क किया जा सकता है।

22. किसी तरह की शिकायत अथवा गड़बड़ी होने पर किससे सम्पर्क किया जा सकता है ?

कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जलछाजन प्रकोष्ठ सह आँकड़ा केन्द्र (WCDC)/उपायुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार/संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी शिकायत कर सकता है।

23. समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है ?

क. जलछाजन समिति को समय समय पर सलाह देना, सहायता करना तथा पर्यवेक्षण करना।

ख. जलछाजन समिति के खाता को सत्यापित करना।

ग. अन्य योजनाओं का जलछाजन योजना के साथ समायोजन करना जिससे वे टिकाउ हो सके।

घ. जलछाजन के अन्तर्गत निर्मित सम्पतियों की विवरणी रखना जिससे योजना के बाद भी इसका रख रखाव सुलभ हो सके।

ड़. जलछाजन समिति के लिए कार्यालय के लिए स्थान तथा अन्य जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

च. जलछाजन कार्य के फलस्वरूप निर्मित सम्पतियों से होने वाले लाभ को उपयोगकर्ता समूह तथा स्वयं सहायता समूह के बीच वितरित करना।

24. कौन कौन से संस्थान समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना कियान्वयन एजेन्सी के रूप में आवेदन कर सकता है ?

परियोजना कियान्वयन एजेन्सी का चयन तथा अनुमोदन राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के द्वारा किया जाएगा। परियोजना कियान्वयन एजेन्सी के रूप में निम्न सरकारी तथा स्वायत्त संस्थान शामिल हो सकते है–

क. राज्य सरकार के संबंधित विभाग

ख. स्वायत्त संस्थान

ग. अनुसंधान में लगे संस्थान

घ. पंचायत

ड़. परियोजना कियान्वयन एजेन्सी के लिए आवश्यक हैं कि उन्हें जलछाजन में पूर्व कार्य करने का अनुभव हो।

च. समर्पित जलछाजन विकास दल के गठन के लिए तैयार हों।

25. एक साधारण आदमी कैसे जलछाजन से लाभान्वित हो सकता है ?

1. सार्वजनिक सम्पदा का निर्माण अथवा उनका जीर्णोद्धार, जैसे– तालाब, कूप, बंजर भूमि का विकास, वृक्षारोपण।
2. सम्पतिविहीन लोगों के लिए जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना।
3. जोत कारों के लिए फार्म कृषि, सूक्ष्म उद्यम के कार्यक्रम।
4. सामान्य जन, स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनकर जीविकोपार्जन से जुड़े कार्यकलापों से जुड़कर तत्संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभ उठा सकते है।
5. जलछाजन से जुड़े निम्न कार्यों से ग्रामीण मजदूरी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकते है–

   क. चेक डैम, जल संरक्षण की योजनाएँ, भूमि एवं वन संरक्षण की योजनाएँ यथा, मेड़बंधी, कन्टूर ट्रेंच आदि।

   ख. चारा, लकड़ी तथा जलावन प्राप्त करने के लिए नर्सरी तैयार करना, वृक्षारोपण, बागवानी, गोचर भूमि विकास कार्य आदि।

   ग. मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन से जुड़ कर।